HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 5055/2026
CNR: RJHC010373202026
URN: CRLMB / 11379U / 2026

Mohit @ Manni S/o Virendra Kumar, Aged About 22 Years, Resident Of Maduvakheda, Ward No.2, Jaspur, Police Station Jaspur, District Udham Singh Nagar, Uttrakhand. (Lodged In Sub Jail Sojat, Dist. Pali)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Awar Dan Ujjwal
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

13/07/2026

01. प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा **483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता**, पुलिस थाना **सोजत सिटी,** जिला **पाली** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **231/2024,** अपराध अन्तर्गत धारा **302, 201 व 120–बी भारतीय दण्ड संहिता तथा 3/25 आर्म्स एक्ट** के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।

02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. प्रार्थी–अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में प्रार्थी–अभियुक्त व सह–अभियुक्त से संयुक्त रूप से पिस्तौल जब्त हुई है। प्रार्थी–अभियुक्त केवल वाहन का ड्राइवर होना प्रथम सूचना रिपोर्ट से ही स्पष्ट है। प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 22.06.2024 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। इस आधार पर प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी–अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट में ही प्रार्थी–अभियुक्त का सह–अभियुक्त के साथ मृतका वर्षा को लेकर जाना स्पष्ट रूप से अंकित है और प्रार्थी–अभियुक्त व सह–अभियुक्त से संयुक्त रूप से हथियार बरामद हुआ है। जिस वाहन से मृतका को लेकर गए उस पर भी खून लगा हुआ पाया गया है। इस मामले में एफ.एस.एल रिपोर्ट व बेलिस्टिक रिपोर्ट पेश की गई है, जिस पर विचार किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त पर सह–अभियुक्त के साथ मिलकर हत्या कारित करने का गंभीर आरोप है।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

07. अतः यह जमानत प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

10/Divyashri Maru/677